

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 456] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 19, 1976/आश्विन 27, 1898  
No. 456] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1976/ASVINA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

WEALTH-TAX

New Delhi, the 19th October 1976

S.O. 681(E).—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 147(E), dated the 1st March, 1976, published at pages 475 and 476 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st March, 1976,—

- (1) at page 475, in line 18, for "Statement of tax paid on sale assessment (See Note)", read "STATEMENT OF TAX PAID ON SELF ASSESSMENT (See NOTE)";
- (2) at page 476,—
- (i) in line 9, for 'years', read 'years.';
- (ii) in line 22, for "(See section G of Part III of this return)", read "(See section G of Part III of this return)";
- (iii) in lines 23 and 24, for "Statement of 'Transferred Assets', 'Converted Property' and 'Gift of Money by means of Book Entries'—vide", read "STATEMENT OF 'TRANSFERRED ASSETS', 'CONVERTED PROPERTY' AND 'GIFT OF MONEY BY MEANS OF BOOK ENTRIES'—VIDE".

[No. 1528/F.No.143(1)/76-TPL]

S. L. SHENDE, Secy.

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धि पत्र

धन-कर

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1976

का० श्रा० 682 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 1 मार्च, 1976 के पृष्ठ 476 से 478 पर प्रकाशित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का०श्रा० 147 (अ) में,

1. पृष्ठ 476 पर,—

- (i) प्रथम पंक्ति में "केन्द्रीय" के स्थान पर "केन्द्रीय" पढ़ें।
- (ii) आठवीं पंक्ति में "नियमों" के स्थान पर "नियमों" पढ़ें।

2. पृष्ठ 477 पर,—

- (i) पांचवीं पंक्ति में "निर्धारित" के स्थान पर "निर्धारित" पढ़ें।
- (ii) तालिका के नीचे "टिप्पण.—" के स्थान पर "टिप्पणः" पढ़ें।
- (iii) तेइसवीं पंक्ति में "करावास" के स्थान पर "कारावास" पढ़ें।
- (iv) उन्नीसवीं पंक्ति में "अपवचन" के स्थान पर "अपवचन" पढ़ें।

3. पृष्ठ 478 पर,—

- (i) प्रथम पंक्ति में "किसी अन्य मामले में" शब्दों के पश्चात् आने वाले दो अर्थ विरामों में से एक का लोप किया जाए।
- (ii) चौथी पंक्ति से विराम चिन्ह हटा दिया जाय।
- (iii) सातवीं पंक्ति में "छ" के स्थान पर "छ" पढ़ें।
- (iv) आठवीं पंक्ति में "अन्तरित आस्तियों", "संपरिवर्तित सम्पत्ति" और लेखा पुस्तकों के स्थान पर "क्रमशः अन्तरित आस्तियों", "संपरिवर्तित सम्पत्ति" और लेखा-पुस्तकों पढ़ें।
- (v) तेरहवीं पंक्ति में "अन्तरित आस्तियों" के स्थान पर "अन्तरित आस्तियों" पढ़ें।
- (vi) उन्नीसवीं पंक्ति में "लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों के माध्यम से धन का दान" के स्थान पर "लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टियों के माध्यम से धन का दान" पढ़ें।
- (vii) पच्चीसवीं पंक्ति में "प्रतिनिर्देश्य" के स्थान पर "प्रति-निर्देश्य" पढ़ें।

[सं० 1529/फा० सं० 143(1)/76-टी०पी०एल०]

एस० एन० बोर्डे, सचिव।

महा-प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
निर्धनक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

TO BE PUBLISHED IN PART II - SECTION 3 - SUB-SECTION  
(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA  
WEALTH-TAX

New Delhi, the 19th October, 1976.

S.O. .- In the notification of the Central Board of Direct Taxes No.S.O.147(E), dated the 1st March, 1976, published at pages 475 and 476 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st March, 1976,-

(1) at page 475, in line 18, for "Statement of tax paid on sale assessment (See Note)", read "STATEMENT OF TAX PAID ON SELF ASSESSMENT (See NOTE)";

(2) at page 476,-

(i) in line 9, for 'years', read 'years.';

(ii) in line 22, for "'(See section G of Part III of this return)', read "(See section G of Part III of this return)";

(iii) in lines 23 and 24 , for "Statement of 'Transferred Assets', 'Converted Property' and 'Gift of Money by means of Book Entries'-vide", read "STATEMENT OF 'TRANSFERRED ASSETS', 'CONVERTED PROPERTY' AND 'GIFT OF MONEY BY MEANS OF BOOK ENTRIES' - VIDE".

[No. 1528/F.No.143(1)/76-TPL]

(S.N. SHENDE),  
Secretary, Central Board of Direct Taxes.